

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-23-07-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के भारत सरकार द्वारा NHM अंतर्गत Flexible Pool for Communicable Diseases for NVBDCP एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases for NLEP अंतर्गत राजकोषीय माध्यम से बकाया केन्द्रांश मद की राशि रुपये 9.86+0.30 अर्थात् कुल रुपये 10.16 करोड़ (दस करोड़ सोलह लाख रुपये) एवं राज्यांश मद की राशि रुपये 6.57+0.20 अर्थात् कुल रुपये 6.77 करोड़ (छः करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) तथा इस वित्तीय वर्ष के अवशेष राज्यांश मद की राशि रुपये 17.36 करोड़ अर्थात् कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रुपये 34.29 करोड़ (चौतीस करोड़ उनतीस लाख रुपये) वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 2017-18 के भारत सरकार द्वारा NHM अंतर्गत Flexible Pool for Communicable Diseases for NVBDCP एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases for NLEP अंतर्गत राजकोषीय माध्यम से बकाया केन्द्रांश मद की राशि रुपये 9.86+0.30 अर्थात् कुल रुपये 10.16 करोड़ (दस करोड़ सोलह लाख रुपये) एवं राज्यांश मद की राशि रुपये 6.57+0.20 अर्थात् कुल रुपये 6.77 करोड़ (छः करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) तथा इस वित्तीय वर्ष में अवशेष राज्यांश मद के राशि रुपये 17.36 करोड़ अर्थात् कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रुपये 34.29 करोड़ (चौतीस करोड़ उनतीस लाख रुपये) वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-7807, दिनांक-21.03.2018 एवं पत्रांक-7878, दिनांक-23.03.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अंतर्गत Flexible Pool for Communicable Diseases for NVBDCP एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases for NLEP अंतर्गत राजकोषीय माध्यम से बकाया केन्द्रांश मद की राशि रुपये 9.86+0.30=10.16 करोड़ रुपये (दस करोड़ सोलह लाख) एवं राज्यांश मद की राशि रुपये 6.57+0.20=6.77 करोड़ रुपये (छः करोड़ सतहत्तर लाख) अर्थात् कुल (केन्द्रांश+राज्यांश) रुपये 16.93 करोड़ (सोलह करोड़ तिरानवे लाख) विमुक्त करने का अनुरोध वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया था परन्तु राज्यांश मद में राशि के अभाव एवं मार्च के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण राशि स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी थी। इस बकाये राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विमुक्त किया जाना है।

इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1535(10), दिनांक-19.03.2018 के द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश मद में रुपये 149.58 करोड़ एवं राज्यांश मद में रुपये 99.72 करोड़ के विरुद्ध रुपये 82.35 करोड़ राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। तदक्रम में अवशेष राज्यांश मद के राशि रुपये 99.72-82.35=17.36 करोड़ भी बकाये राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विमुक्त किया जाना है। अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से कुल बकाये राशि (केन्द्रांश+राज्यांश) रुपये 34.29 करोड़ (चौतीस करोड़ उनतीस लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

Q

राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक-7807, दिनांक-21.03.2018 एवं पत्रांक-7878, दिनांक-23.03.2018 के द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में उपलब्ध कराये गये बकाया राशि की विवरणी निम्नवत है :-

S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
Flexible pool for Non Communicable Diseases for NLEP				
1	F.no.G.27034/37/2017-NHM-F(E), 15-03-2018	1400000	933333	2333333
2	F.no.G.27034/37/2017-NHM-F(f), 15-03-2018	300000	200000	500000
3	F.no.G.27034/37/2017-NHM-F(E), 15-03-2018	100000	66667	166667
4	F.no.G.27034/37/2017-NHM-F(E), 15-03-2018	1200000	800000	2000000
Total-(A)		3000000	2000000	5000000
Flexible pool for Communicable Diseases for NVBDCP				
1	G.27034/37/2017-MHM-F(E), 15-03-2018	91700000	61133333	152833333
2	G.27034/37/2017-MHM-F(E), 15-03-2018	6900000	4600000	11500000
Total-(B)		98600000	65733333	164333333
Total-(A+B)		101600000	67733333	169333333

3. राज्यांश एवं केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) राज्यांश:-

(i) उक्त राशि मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 18,33,00,000/-में से कुल रुपये 18,33,00,000/- (अठारह करोड़ तेतीस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 73,33,29,000/-में से कुल रुपये 5,80,00,000/- (पाँच करोड़ अस्सी लाख रुपये) विकलनीय होगा।

(ख) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 41,09,66,000/-में से कुल रुपये 10,16,00,000/- (दस करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।



5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।
6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।
7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-105 पर प्राप्त है।
10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।
11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-...351.....(10) /स्वा0, पटना, दिनांक- 23-07-18

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।